























स्पीड ज्यूज़

दरभंगा में बना पहला मोटर दुर्घटना

न्यायाधिकरण का गठन कर दिया

गया है। बिहार का द्वारा जारी

अधिसूचना के आलोक में

आयुक्त दरभंगा, (प्रमंडल

दरभंगा) मनीष कुमार द्वारा

न्यायाधिकरण का गठन कर दिया

गया है। वह बिहार में गठन किये

जानेवाले सातों न्यायाधिकरण में

सबसे पहला न्यायाधिकरण है।

प्रमंडल में सड़क दुर्घटना से

प्रभावित लोगों/विवरों को

दुर्घटना से संबंधित मुआवजा

दावा का शीघ्र निष्पादन करने के

लिए न्यायाधिकरण का गठन

किया गया है।

पार्षद राधाचरण साह समेत

छह के खिलाफ आरोप पर

पटना। प्रवर्तन निदेशालय

(ईडी) ने करोड़ों रुपए के अवैध

धनशोधन मामले में आज बिहार

में पटना की एक विशेष

राधाचरण साह समेत छह लोगों

के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

किया। प्रवर्तन निदेशालय

जाता है। वह पहले गठन करने

के लिए विशेष न्यायाधीश रूपसे देव

की अदालत में भारतीय दंड

विधान एवं प्रीवेंशन आफ मनी

लाइंग एकट की अलग अलग

धाराओं में विधान पार्षद

राधाचरण साह, उनके पुत्र

कहवा रप्रसाद एवं झारखंड

स्थित धनबाद का विशेष

मिथिलेश कुमार सिंह, बब्बन

सिंह, सुरेन कुमार जिंदल और

एक कंपोनेंट्सन कमेटीज

प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ

दाव किया है। आरोप पत्र के

आधार पर अदालत ने मामले में

संज्ञान ले लिया है।

तेज रप्तार कार की चपेट

में आने से महिला घायल

पलामू। पलामू में एक बैकाबू

कार ने सड़क किनारे खड़ी एक

महिला समेत तीन लोगों को

अपनी चेपेट में ले लिया। इससे

वे घायल हो गए। घायलों का

इलाज में मदिनीगर के

एमएसीएच में चल हुआ है।

घटना पलामू जिले के झाँपुर

प्रखंड की है। सूरों के अनुसार

राजपतिया देवी, मुन्ना खान और

अल्लाफ खान चैनपुर में सड़क

किनारे खड़े थे। तभी विपरीत

दिशा से आ रही एक तेज रप्तार

कार ने अपना नियत्रण खो दिया।

इससे तीनों जख्मी हो गए।

दहेज हत्या के मामले में पति

साह एवं ससुर को जगा

दरभंगा। बिहार में दरभंगा

व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन

कुमार दिवाकर ने दहेज हत्या के

जुमे में पति समेत तीन लोगों

कठोर कारावास की सजा सुनाई

है। श्री दिवाकर की अदालत ने

मामले में सुनाई के बाद

आरोपित पति यशोदानंद मिश्र को

बारह साल की कठोर कारावास

तथा दस हजार रुपये अर्थदण्ड

की सजा सुनाई है। वर्धम, मृतका

के साथ मुद्रिका देवी और सप्तर

हेमनारायण मिश्र को सात-सात

साल की कठोर कारावास तथा

दस-दस रुपये अर्थदण्ड

की सजा सुनाई है।

ब्रह्मावार के मामले में

डीटीओ को भेजा गया जेल

पटना। बिहार में पटना की

एक विशेष अदालत ने बालू

का ठेका दिलाने के नाम पर

अवैध चूस्ती करने के एक

तत्कालीन जिला परिवहन

पदाधिकारी को आज न्यायिक

हिरासत में ले लेते हुए जेल भेज

दिया। पुलिस ने भ्रुआ के

तत्कालीन जिला परिवहन

पदाधिकारी को आज न्यायिक

माहम्मद रुस्तम

की अदालत में पेश किया,

जहां न्यायालय ने उसे

प्रश्नाएं किया जाएं। अप्रति

त्यारी के बाबत भेजने का

आदेश दिया। अभियुक्त मो.

जियालालहान वर्तमान में

लखीसारय के जिला परिवहन

पदाधिकारी के पार

पदस्थापित थे।

# जिन शिक्षकों को गांवों में नहीं करनी है नौकरी, वे इस्तीफा सौंप दें : केके पाठक

एजेंसी

बेगूसराय। शिक्षा विभाग बिहार के

अपर मुख्य सचिव के केके पाठक

ने कहा है कि बिहार लोक सेवा

आयोग (बीपीएससी) द्वारा

शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के

विद्यालय की हुई है। जो शिक्षक

ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं

वह नौकरी छोड़ दें। युवराज की रात

बेगूसराय पहुंचते ही केके पाठक

ने बेगूस



